# विभाग का परिचय

राजस्थान की स्थापना रियासतों के विलीनीकरण के फलस्वरूप वर्ष 1949 में हुई। रियासत काल में शिक्षा की कार्य प्रणाली एवं प्रबन्ध व्यवस्था रियासतवार अलग–अलग थी। राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को संघीय स्वरूप देने एवं शिक्षा के सुसंचालन हेतु वर्ष 1950 में बीकानेर में निदेशालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की स्थापना की। राज्य में वर्ष 1959 से पंचायत राज व्यवस्था लागू होने के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की प्रबन्ध व्यवस्था का दायित्व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को सौंप दिया गया। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए वर्ष 1997 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर का पृथकीकरण कर बीकानेर में ही पृथक–पृथक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। तद्नुसार 01 जनवरी, 1998 से प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय कार्य कर रहा है। वर्ष 2001 से ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा का कार्य भी निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा को सौंपा गया। दिनांक 02 अक्टूबर 2010 से सम्पूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा पंचायती राज संस्थाओं को स्थानान्तरित कर दी गई है लेकिन पैतृक विभाग शिक्षा विभाग ही रखा गया है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :–

- प्रारम्भिक शिक्षा नीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन,
- प्रारम्भिक शिक्षा प्रबन्धन एवं प्रशासन,
- प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार
- अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता को बढ़ावा,
- प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक गतिविधियों का विकास
- प्रारम्भिक शिक्षा का आर्थिक नियोजन

राज्य स्तर पर नियंत्रण हेतु शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग के नेतृत्व में संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना), संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा तथा शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा व अन्य अधिकारी कार्यरत हैं, जिनके द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जाते हैं।